मानक शर्तें

(सन्दर्भ : वन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या 7314/14–3–1980/82 दिनांक 21.12.84 द्वारा निर्धारित)

1–भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर से कोई परिवर्तन नही होगा और वह पूर्व की भांति संरक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2–संरक्षित भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।

3–याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नही करेगा।

4–भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है।

5–हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायेगे और ऐसा किये जाने पर सम्बंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।

6–भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बंधित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बंध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।

7–हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नही होगी।

8–बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणो से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9–सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10–याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि

विनय कुमार सिंह
[illegible]ीय बिक्री प्रबन्धक
[illegible]

[illegible]

[illegible]

प्रभागीय [illegible]क
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
इलाहाबाद

तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।

11– सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर " एलाइनमेन्ट " तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श " भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण " द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा मुख्य अभियंता पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या–608/सी, दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी " भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण " द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गो का मामूलीफर बदलकर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12–वन भूमि का मूल्य सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13–वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे किया जायेगा। यदि किसी कारणों से वृक्षो का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके, और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14–हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि. के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा पांच वर्ष का परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जाये का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर वृक्षों का पातन निषिद्व है। इसी प्रकरण बाज के पेड़ों का पातन भी वर्णित है ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15–वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नही किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करे उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का भी कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर सम्बंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16–यदि नहर आदि निर्माण में भू–क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वंय करायेगा।

17–उपरिलिखत मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई शर्त लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

विनय कुमार सिंह
क्षेत्रीय बिक्री प्रबन्धक
इलाहाबाद विक्रय क्षेत्र
इलाहाबाद

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
इलाहाबाद

18—वन विभाग का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाये, अथवा उनका सचिव स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

19—भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्तो दिनांक 15.07.2002 का अनुपालन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

20—भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से जारी F.N0. 11-29/2004-FC Government of India Ministery of Enviroment and Forests F.C. Division dt. 15.07.2004 द्वारा लगायी गयी शर्तो का अनुपालन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

मै क्षेत्रीय प्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, रेवाड़ी, कानपुर पाइप लाइन परियोजना का प्रतिनिधि प्रमाणित करता हूँ कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को उपरोक्त सभी शर्ते मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

विनय कुमार सिंह
क्षेत्रीय बिक्री प्रबन्धक
इलाहाबाद विक्रय क्षेत्र
इलाहाबाद

क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
इलाहाबाद